कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़
स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

क्रमांक / 8728 / नर्सिंग–छात्र / संचिशि / 2025 रायपुर, दिनांक 04-11-25

प्रवेश वर्ष 2025–ऑनलाईन मॉपअप राउण्ड संस्था चयन सूचना

बी.एस.सी. नर्सिंग(BSc. Nursing)

प्रवेश वर्ष 2025 – प्रदेश के शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.एस.सी. नर्सिंग(BSc. Nursing) पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण आबंटन प्रवेश उपरांत रिक्त सीटों पर नियमानुसार ऑनलाईन मॉपअप राउण्ड आबंटन किया जाना है। मॉपअप राउण्ड के लिये संस्थावार रिक्त सीटों की जानकारी संलग्न है।

अतः मॉपअप राउण्ड के लिये पात्र आवेदक अपनी रूचि अनुसार **नि:शुल्क** ऑनलाईन संस्था चयन (Choice) निम्नांकित समय सारिणी अनुसार कर सकेगें। **मॉपअप राउण्ड में अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में किये गये संस्था चयन (Choice Filling) शून्य हो जायेगें। मॉपअप राउण्ड के लिये सभी पात्र अभ्यर्थियों को संस्था चयन (Choice Filling) करना अनिवार्य होगा, संस्था चयन के अभाव में अभ्यर्थी आबंटन के लिये पात्र नहीं होगें। अतः सभी पात्र अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से संस्था चयन (Choice Filling) करें** :–

क.	प्रक्रिया का विवरण	दिनांक
1	ऑनलाईन संस्था चयन – प्रारंभ तिथि	दिनांक 06.11.2025 (12:00 Hrs) (Server Time)
2	ऑनलाईन संस्था चयन – अंतिम तिथि	दिनांक 07.11.2025 तक (12:00 Hrs तक) (Server Time)

काउंसिलिंग, आबंटन एवं अन्य जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट **www.cgdme.in** में उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदक वेबसाईट **www.cgdme.in** का नियमित अवलोकन कर, जानकारी प्राप्त करें।

नोट–

1. **छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 के नियम 5(तीन) (स) ''यदि संबंधित विभाग से अनुमति के अभाव में, शासकीय सेवारत अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेने के कारण अपात्र हो गये हैं, तो आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को आवेदन प्रस्तुत कर, अनुमति प्राप्त कर, मॉपअप राउण्ड में, केवल शासकीय महाविद्यालय की सीटों हेतु ही पात्र एवं सम्मिलित हो सकेगें।''**
   ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा निजी संस्था चयन (Choice) किये जाने पर, उनके द्वारा चयन (Choice) किये गये निजी संस्था चयन (Choice) को अमान्य किया जायेगा, केवल उनके द्वारा भरी गई शासकीय संस्था चयन (Choice) के आधार पर आबंटन किया जावेगा।
2. यदि ऑनलाईन संस्था चयन (Choice) पूर्ण करने के बाद **Lock & Submit** भी कर चुके हैं, तथा ऑनलाईन संस्था चयन (Choice) में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो परिवर्तन हेतु एडीट (Edit) शुल्क रू. 1000/– (रू. एक हजार मात्र) जमा कर, ऑनलाईन संस्था चयन (Choice) की अंतिम तिथि तक परिवर्तन कर सकेगें।
3. प्रवेश प्रक्रिया नियम हेतु ''छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 एवं संशोधन दिनांक 31 जनवरी, 2022 (02 फरवरी, 2022) का अवलोकन करें।
4. काउंसिलिंग से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाईट **www.cgdme.in** का नियमित अवलोकन करें।
5. सभी शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों का आबंटन, भी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। **अतः किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसे।**

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित।

अध्यक्ष
काउंसिलिंग समिति (नर्सिंग पाठ्यक्रम)
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा रायपुर, छ.ग.